

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

शिव ठुमार

बनाम

शीशपाल झाई

दावा बाबत :- 88 RO DC

मुकदमा नम्बर :- 359/21

निर्णय दिनांक :- 07.12.2021

वादी की ओर से वकील ए. श्री शोभाश रानी की व प्रतिवादी सं० 1/13 की ओर से वकील ए. श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री गौला बेट के खाता संख्या 13/13/2 के खाता संख्या 432 की पं० 8060 है, खाता सं० 433 की 1.075 हैम्पेर, खाता संख्या 437 की 1.24प हैम्पेर, खाता संख्या 542/2 की 1.4040 है खाता सं० 544 की 0.3030 हैम्पेर, खाता सं० 655 की 1.0060 हैम्पेर खाता संख्या 729 की 5.2360 हैम्पेर, खाता सं० 755 की 5.5640 हैम्पेर लारणी खातेदारी कृषि भूमि में उलियादी संख्या 1 शीशपाल का 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से उलियादी सं० 1 शीशपाल का नाम कलमजब किया जाकर वादी शिव ठुमार व उलियादी संख्या 2 प्रमोद को वहिना बराबर के काबजकार घोषित किए जाते हैं, भूमि उलियादी सं० 1 व 2 में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व उलियादी संख्या 2 के परम त्याग कर चुक्य कर लिया है। इसलिये त्याग किए गये हिस्से पर पंजीपन विभाग को देय पंजीपन शुल्क एवं ह्याम्प इधरी इफा करने व यदि कृषि भूमि के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में शामिल दरागद किया जावे। राजीनामा की डिक्री का भाग पदा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला-हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

प्रशा. क संग अ.-2021

कैम्प